आवश्यक है।

9. **हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम :–** प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
10. **स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम :–** प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
11. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :–** प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
12. **टैरेस टैंकः–** प्रस्तावित भवन के टैरेस पर 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
13. **टैरेस पम्पः–**प्रस्तावित भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
14. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–** प्रस्तावित भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.–15683:2006 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
15. **एक्जिट साइनेजः–** प्रस्तावित भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
16. **पी0ए0 सिस्टमः–** पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया जाना आवश्यक है।
17. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में दो रैम्प का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसका ढ़ाल 1:8 व 1:10 के मध्य बनाया जाय, एवं उस पर फिसलन रहित सतह बिछाई जाये।
18. प्रस्तावित भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत हेतु जनरेटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तावित भवन में विद्युत व्यवस्था आई0एस0 1646:1997 के अनुरुप किया जाय।
20. बेसमेन्ट में प्रकाश एवं संवातन की समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
21. प्रस्तावित भवन की बेसमेन्ट लाइन बिल्डिंग इनवेलप के बाहर है, जिससे बेसमेन्ट के स्लैब का 45 टन लोड वियरिंग क्षमता का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चलर इंजीनियर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
22. बेसमेन्ट का प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के पार्ट III के क्लाज 12.9 के अनुरुप किया जाना अनिवार्य होगा।
23. अनुमोदित मानचित्र में विचलन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की दशा में निर्गत प्रोविजनल पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार श्री जितेन्द्र सिंह डायरेक्टर मेसर्स– सॉई बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 द्वारा आराजी नं0– 245पी, 247पी, 258पी, 304पी, 305पी,301पी, 303पी, मौजा–लुच्चेपुर, परगना–अठगॉवा, वाराणसी पर प्रस्तावित समाजवादी आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित 2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निर्गत प्रोविजनल पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक– अनुमोदित मानचित्र।

24-5-17

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपिः–

1. अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांकः 20.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री जितेन्द्र सिंह डायरेक्टर मेसर्स– सॉई बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 के आराजी नं0– 245पी, 247पी, 258पी, 304पी, 305पी,301पी, 303पी, मौजा–लुच्चेपुर, परगना–अठगॉवा, वाराणसी को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।